

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 962 /11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 12, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि०, गाराणसी द्वारा 400 कैंवी० अंतः-गाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे० आरक्षित वनभूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे० आरक्षित वनभूमि, सोनमद वन प्रभाग में 15.79 हे० आरक्षित वनभूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे० आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-1073/11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांक 28.09.2021, पत्रांक-2409/11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांक 17.02.2022, पत्रांक-3393/11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांक 31.05.2022 तथा आपका पत्रांक-707/मी०क्ष०/33, दिनांक 24.08.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंघन के संबंध में सूचना/अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.08.2022 के द्वारा सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें आपके द्वारा उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आख्या/अभिलेख संस्तुति सहित प्रेषित नहीं की गयी है। आपके द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र में लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन०पी०वी० की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, का उल्लेख किया गया है, जोकि तथ्यपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त वर्तमान में पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है:-

रेनुकूट वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बीने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन०पी०वी० की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन०पी०वी० की दर के अनुसार दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलिट कर अपलोड करें।
6. दण्डात्मक एन०पी०वी० जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।

ओबरा वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बीने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।

3. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पुरानी दर वाली एन0पी0वी0 की गणना डिलिट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना अपलोड नहीं की गयी है।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न न करके उल्लंघन न किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।
6. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि औचित्य पूर्ण नहीं है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलिट कर अपलोड करें।
7. दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।
8. प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा नोडल अधिकारी नामित है। अतः अपने कार्यालय प्रतिनिधि से प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त कराकर, इंगित सभी कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्तावों की एक पी0डी0एफ0 फाइल तथा प्रस्तावित एवं सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

सोनमद्र वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बीने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलिट कर अपलोड करें।
6. दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।

कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर:-

1. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बीने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।

4. प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलिट कर अपलोड करें।
6. दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।
7. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।

मीरजापुर वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बीने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलिट कर अपलोड करें।
6. दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव पेनड्राइव सहित इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

हस्ताक्षर

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 962 / 11-सी-FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड-द्वितीय-14/74ए-2 अन्धरापुल, वाराणसी।

पत्रांक 980 / सी0 / 33 डि०/सं०/ 12, 2022

प्रति०/सी०/ 33 डि०/सं०/ 12, 2022

अग्रोसल

अग्रोसल

अग्रोसल

अग्रोसल

(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर वन संरक्षक